

# उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह ।

पीरटांड, गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत पारसनाथ अपशिष्ट तथा इन्ट्रीग्रेटेड सिवरेज एण्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु चिन्हित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के संबंध में गैरमजरूआ (Deemed orest) भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्र०सं०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट	रकवा(एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	गिरिडीह	पीरटांड	खपैयाबेड़ा	99	01	65	1.25
				99	01	65	5.00
कुल रकवा:-							6.25

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 6.25 एकड़ में सन्निहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एव अन्य वन (Deemd Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemd Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

एन

ज्ञापांक-1984/रा०, दिनांक-04/09/2017

उपायुक्त, गिरिडीह।

प्रतिलिपि:-परियोजना निदेशक (प्रशासन), झारखण्ड, अबन इंफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड(जुडका लि०)

प्रतिलिपि:-सरकार के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी/अंचल अधिकारी, पीरटांड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

04/09/17

उपायुक्त, गिरिडीह।